

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सूचना

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की रजिस्ट्री में स्वीकृत असिस्टेंट रजिस्ट्रार (IT), कम्प्यूटर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर एवं असिस्टेंट प्रोग्रामर के पदों हेतु लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार पश्चात् छ.ग. व्यापम, रायपुर से प्राप्त अंतिम परीक्षा परिणाम के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची को उच्च न्यायालय की वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है।

तदानुसार उक्त पदों हेतु मेरिट सूची के अभ्यर्थियों का विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुसार शैक्षणिक, तकनीकी, अनुभव प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जाँच/सत्यापन निम्नानुसार तिथियों में किया जाना है—

स.क्र.	पद	जाँच/सत्यापन तिथि	समय
1	सॉफ्टवेयर इंजीनियर	13/07/2020	
2	हार्डवेयर इंजीनियर		प्रातः 10.30 बजे
3	कम्प्यूटर प्रोग्रामर		
4	असिस्टेंट प्रोग्रामर	14/07/2020	
5	असिस्टेंट रजिस्ट्रार (आई.टी.)		

अभ्यर्थियों को उक्त निर्धारित तिथि एवं समय में अपने शैक्षणिक, तकनीकी, अनुभव प्रमाण पत्रों (विज्ञापन अनुसार चाही गई संबंधित विषय में अनुभव होने के स्पष्ट विवरण होने का प्रमाण—पत्र) एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति एवं उसकी एक छायाप्रति के साथ “कार्यालय एडिशनल रजिस्ट्रार (डी.ई/स्थापना), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बोदरी, बिलासपुर(छ.ग.)” में उपस्थित होना है।


कुछ अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों में आवेदित पद के संबंध में चाहे गये अनुभव का स्पष्ट विवरण नहीं है, केवल कार्यरत पदनाम का ही उल्लेख किया गया है। अतः विज्ञापन अनुसार चाही गई संबंधित विषय में अनुभव होने के स्पष्ट विवरण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं अनुभव प्रमाण पत्रों (विज्ञापन अनुसार चाही गई संबंधित विषय में अनुभव होने के स्पष्ट विवरण होने का प्रमाण—पत्र) की सॉफ्ट कॉपी एडिशनल रजिस्ट्रार (डी.ई.) के ई—मेल (arde-hc.cg@gov.in) में दिनांक 10/07/2020 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करें।

यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश उक्त निर्धारित सत्यापन तिथि को उपस्थित नहीं हो सकता है, तब उक्ताशय का अनुरोध पत्र ई—मेल (arde-hc.cg@gov.in) के माध्यम से दिनांक 10/07/2020 तक प्रेषित करेगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्ताशय का अनुरोध पत्र प्राप्त नहीं होने एवं निर्धारित सत्यापन तिथि में उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी का आवेदन/चयन निरस्त किया जा सकेगा।

यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन में दर्शित पद के अनुसार वांछित योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत करने में असफल रहता है या दस्तावेज सत्यापन उपरांत उसे अनहं पाया जाता है तब वह उक्त अनहंता के कारण चयन/नियुक्ति का अधिकारी नहीं रह जावेगा।

विस्तृत जानकारी के लिये उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.cghighcourt.nic.in पर देखा जा सकता है।


 (दीपक कुमार तिवारी)
 रजिस्ट्रार (विजिलेंस)–सह-चेयरमेन,
 सब-कमेटी